संख्या – 5677/आठ–1–08–01विविध/2000

प्रेषक,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

1. **आवास आयुक्त**
   उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद,
   लखनऊ।

2. **उपाध्यक्ष**
   समस्त विकास प्राधिकरण
   उत्तर प्रदेश।

3. **अध्यक्ष**
   विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण,
   उत्तर प्रदेश।

आवास एवं शहरी नियोजन अनुभाग–1 लखनऊः दिनांक 11 नवम्बर, 2008

विषय : वन टाइम सेटलमेंट योजना (ओ.टी.एस.)–2002 की समय–सीमा वृद्धि के सम्बन्ध में।

महोदय,

आप अवगत हैं कि पूर्व में निर्गत शासनादेश संख्या : 5040/आठ–1–08–01 विविध/2002, दिनांक 04.09.08 के माध्यम से दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवंटियों को ओटीएस योजना–2002 का लाभ प्रदान करते हुए 31.12.08 तक धनराशि जमा करने की छूट प्रदान की गयी थी। उक्त शासनादेश दिनांक 04.09.08 द्वारा दी गयी छूट केवल दुर्बल आय वर्ग एवं अल्प आय वर्ग के आवंटियों हेतु प्राविधानित थी, किन्तु शासन के संज्ञान में आया है कि ओ.टी.एस. योजना–2002 का लाभ प्राप्त करने से अन्य आवंटी वंचित रह गये हैं।

2. अतः इस संबंध में शासन स्तर पर सम्यक् विचारोपरान्त मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि ओ.टी.एस. योजना–2002 सभी श्रेणी के आवंटियों के लिए लागू करते हुए इसकी समय–सीमा दिनांक 31.03.2009 तक बढ़ाई जाती है। शेष शर्तें ओ.टी.एस. योजना–2002 के अंतर्गत निर्गत शासनादेश दिनांक 12.08.02 एवं 30.10.02 में निहित प्राविधानों के अनुरूप रहेंगी। कृपया विभिन्न समाचार पत्रों एवं अन्य सूचना माध्यमों से उक्त योजना का व्यापक प्रचार–प्रसार करते हुए अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित करने का कष्ट करें।

भवदीय,

श्रीकृष्ण
प्रमुख सचिव

संख्या 5677(1)/आठ–1–08, तद्दिनॉक ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :–

1. प्रमुख सचिव, मा. मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
2. अध्यक्ष, उ.प्र. आवास एवं विकास परिषद/समस्त विकास प्राधिकरण/विशेष क्षेत्र विकास प्राधिकरण, उत्तर प्रदेश।
3. महानिरीक्षक, निबन्धन को सभी प्राधिकरणों/परिषद में सब रजिस्ट्रार की उपलब्धता इस अवधि में सुनिश्चित कराने का स्पष्ट निर्देश निर्गत करने हेतु।
4. प्रमुख सचिव, कर एवं निबन्धन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
5. निजी सचिव, मा. मंत्री, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन, उत्तर प्रदेश।
7. अपर निदेशक, आवास बन्धु को इस आशय से प्रेषित कि शासनादेश आवास एवं शहरी नियोजन विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करते हुए इसे समस्त संबंधित को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।
8. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

एच.पी. सिंह
अनु सचिव।